


2021/230

नेमीचन्द बनाम भंवराराम

राजस्व वाद संख्या 151 / 2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
24.12.2024	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दिनांक 06.08.2021 से प्रतिवादी संख्या 4 से 5 तलबी में लम्बित चल रहा है। तथा गत तारीख पेशी 26.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से पैरवी नहीं किया जाना वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया। इस अवधि के दौरान वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अनेक अवसर दिये गये है। परन्तु वकील वादी ने साबिका आदेश की पालना नहीं की है।</p> <p>अतः वकील वादी का वाद अधीन धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अदम तकमील में सीपीसी प्रावधानुसार आदेश 09 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">             (जीतू कुलहरी)            उपखण्ड अधिकारी            नावां (डीडवाना-कुचामन)            उपखण्ड अधिकारी            नावां (डीडवाना-कुचामन)         </p>	